मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 9, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2007-2008, पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (दिनांक 1-4-2004 से 31-3-2005 तक), पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का अठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2008-2009, पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई 2009 से 30 जून, 2010 तक)

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, तथा

(ग) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (दिनांक 1जुलाई 2008 से 30 जून, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष का) पटल पर रखेंगे.

(5) श्री पारस जैन, राज्य मंत्री, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन का सप्तम वार्षिक एवं हिसाब-पत्रक वर्ष 2009-2010,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के बिलरई ढिनार पोषक नहर के निर्माण में कृषकों की भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम धतूरा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ख) ग्राम अजवाइन में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ग) ग्राम सभागंज में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(घ) ग्राम उदयपुर में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ङ) ग्राम बराखुर्द में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(च) ग्राम जरियारी में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने, तथा

(छ) ग्राम जीतनगर में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम अजनार एवं रहावली में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम मुरावली में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण किये जाने,

(ग) दबोह नगर में पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम बरौआ में पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण किये जाने,

(ङ) आलमपुर में होम्योपैथिक औषधालय का भवन निर्माण किये जाने,

(च) ग्राम पचोखरा में हौम्योपेथिक औषधालय का भवन निर्माण किये जाने, तथा

(छ) लहार में हौम्योपैथिक औषधालय का भवन निर्माण किये जाने,

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) ग्वालियर के गेंडेवाली सड़क पर स्थित शास.मा.कन्या विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ख) पं. दीनदयाल हॉस्पिटल लधेडी में बाल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराये जाने,

(ग) आनंद नगर से रेल्वे स्टेशन तक सिटी बस सुविधा शुरू किये जाने,

(घ) रेशम मिल के शा.मा.विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(ङ) किला गेट स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्र.1 का उन्नयन किये जाने, तथा

(च) पं. दीनदयाल हॉस्पिटल लधेड़ी में प्रसूति सुविधा शुरू किये जाने,

(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के -

(क) ग्राम बरमण्डल में पेयजल व्यवस्था किये जाने,

(ख) गुमानपुरा से पिपरनी मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(ग) बिमरोड से पिपरनी मार्ग का डामरीकरण किये जाने, तथा

(घ) दौलतपुरा से बोला तक नहर निर्माण किये जाने,

(5) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले के -

(क) ग्राम कन्सेर में नल जल योजना प्रारम्भ किये जाने, तथा

(ख) ग्राम माऊखेडी से जावरा रोड तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(6) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के रेल्वे कोच फैक्ट्री से सिटी स्टार बस सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा .... (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 27 फरवरी, 2011